

(घघर डिबीजन क्लर्क) के रूप में और कुछ उच्च श्रेणी लिपिकों को निम्न श्रेणी लिपिक (सोघर डिबीजन क्लर्क) के रूप में परिचालित कर दिया गया ।

गोरखपुर-इलाहाबाद सेक्शन पर  
रेल दुर्घटना

5010. श्री बलराम सिंह कुशावाहू :  
श्री हुकाम चन्द कान्हावाय :  
श्री बिहाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री 9 जून, 1967 के अताराकित प्रश्न संख्या 2001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 दिसम्बर, 1966 को गोरखपुर-इलाहाबाद सेक्शन पर हुई रेल दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हा, तो नत्सवध्री ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो हम में और कितना समय लगने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० ए० पुनावा) :  
(क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठना ।

(ग) इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में अनुशासन एवं क्षीण नियमों के अन्तर्गत जांच हो रही है ।

मथुरा जंक्शन के रेलवे डिपार्ट-परीक्षक

5011. श्री बलराम सिंह कुशावाहू :  
श्री हुकाम चन्द कान्हावाय :  
श्री बिहाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मथुरा जंक्शन के टिकट-परीक्षकों में बड़े पैमाने पर अनधिकृत विज्ञेताओं द्वारा बाध पदार्थ बेचे जाने के बारे में जिस के परिणामस्वरूप रेलवे प्रोजेक्शन-व्यवस्था विभाग का प्रतिमास हज़ारों रुपये की हानि होती है, रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्री, राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को कोई गिकायत भेजी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिये स्टेशन मास्टर और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और जब टिकट-परीक्षकों ने ऐसा करने का प्रयास किया, तो उन की हत्या करने का प्रयत्न किया गया; और

(ग) इस गिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० ए० पुनावा) :

(क) मध्य रेलवे, झांसी के मण्डल अधीक्षक के नाम मथुरा जंक्शन के टिकट क्लर्कों का एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग). इस मामले की जांच-पड़ताल की जाई ।